आवश्यक / महत्वपूर्ण

पत्रांकः 1001 / 33–पी0एम0यू0–2014–1284 / 2013

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन एवं
अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्ध इकाई,
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि,
उ0प्र0।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी0आर0जी0एफ0,
जनपद– अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, कासगंज, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र एवं उन्नाव।

परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0आर0जी0एफ0) लखनऊः दिनांकः 25 जुलाई, 2014

विषयः– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की अनुमोदित वार्षिक जिला योजना भारत सरकार को प्रेषित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–674 / 33–3–2014–43 / 2014 दिनांक 09 अप्रैल, 2014 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बी0आर0जी0एफ0 की वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–1 / 2 / एस0(डी0डब्लू0एस0) / 2014 दिनांक 11.07.2014 द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि बी0आर0जी0एफ0 से आच्छादित जनपदों में इस निधि की कम से कम 10 प्रतिशत धनराशि पेयजल योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में तथा 10 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता कार्यक्रमों, यथा–सामुदायिक सेनेटरी काम्पलेक्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट इत्यादि पर व्यय की जाए।

3. उल्लेखनीय है कि दिनांक 09 अप्रैल, 2014 के शासनादेश से निर्गत दिशा–निर्देशों में प्रस्तर 2(4) में पूर्व में ही यह कहा गया है कि पाइप वाटर सप्लाई एवं मिनी पाइप वाटर सप्लाई (Tank Type Stand Post) की योजनाओं (विशेष रूप से जे0ई0 / ए0ई0 एवं पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में) को भी वरीयता प्रदान की जाए।

4. अतः भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2014–15 की बी0आर0जी0एफ0 की वार्षिक कार्ययोजना बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को भी संज्ञान में लिया जाए :–

(1) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से आच्छादित जनपदों में न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर व्यय की जाए। पेयजल योजनाएं आवश्यकतानुसार तीनों स्तर की पंचायतों द्वारा ली जा सकती हैं।

(2) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से आच्छादित जनपदों में न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता कार्यक्रमों, यथा–सामुदायिक सेनेटरी काम्पलेक्स का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट (उदाहरण के लिए वर्मी कम्पोस्टिंग, सोख्ता गड्ढा निर्माण, हैण्डपम्प के चारों ओर प्लेटफार्म का निर्माण, बेकार पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण आदि) पर व्यय की जाए। इस हेतु निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों/मानकों को अपनाया जाए।

वर्ष 2014–15 की वार्षिक जिला योजना अधिकांश जनपदों में तैयार हो चुकी है और कुछ जनपदों में जिला योजना समिति की बैठकें हो चुकी हैं। अतः यदि अभी आपके जनपद में बी0आर0जी0एफ0 की जिला वार्षिक कार्ययोजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तो वार्षिक योजना में उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों को भी सम्मिलित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष,
पी0एम0यू0

पत्रांक : 1001/33–पी0एम0यू0–2014–1284/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–1/2/एस0(डी0डब्लू0एस0)/2014 दिनांक 11.07.2014 के क्रम में सूचनार्थ।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन/नगर विकास/समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा)/कोषाध्यक्ष, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
14. पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड पत्रावली हेतु।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष,
पी0एम0यू0